न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 848/एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2005 – पारित – सदस्य,राजस्व मण्डल ग्वालियर –– प्रकरण कमांक 586/।।/2003 निगरानी

1– कल्याण सिंह पुत्र करणसिंह ठाकुर
2– राकेशसिंह पुत्र प्रताप सिंह ठाकुर
दोनों निवासी ग्राम बलबंतपुरा
तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

––––आवेदकगण

विरूध्द

म0प्र0शासन व्दारा कार्यपालन यंत्री
सिंचाई विभाग, टीकमगढ़

––––अनावेदक

आवेदक श्री कल्याणसिंह स्वयं उपस्थित

आदेश

(आज दिनांक 17 6– 2014 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 586/।।/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसके निराकरण हेतु मान. अध्यक्ष राजस्व मण्डल,ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 22.8.13 से अधिकृत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 164/बी–121/98–99 में पारित आदेश दिनांक 26–6–2000 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में अपील कमांक 316 बी 121/2001–02 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 27–3–2003 से अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने राजस्व मण्डल, म0प्र0

ग्वालियर में निगरानी कमांक 856/।।/2003 प्रस्तुत की, जिसमें तत्का. सदस्य व्दारा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2005 पारित किया तथा निगरानी अमान्य की । इसी आदेश के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 23-7-2008 को प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए तथ्यों पर आवेदक कल्याणसिंह के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आदेश दिनांक 30-11-2005 के विरूद्व न्यायालाय में दिनांक 23-7-2008 को प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन के विलम्ब के सम्बन्ध में प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर बताया गया कि पुनरावलोनकर्ता क-1 वृद्व और बीमार रहता है एंव पढ़ा लिखा नहीं है तथा ग्रामीण है। आवेदक कमांक-2 गॉव का सरपंच है जिसके कारण अपने कार्य में व्यस्त रहता है इसलिये दोनों आवेदनकर्ताओं को पेशियों की जानकारी नहीं रही क्योंकि पुनर्विलोकनकर्ता वर्ष 2003 से 2005 तक व्यक्तिगत रूप से पेशियों पर उपस्थित नहीं हुये। आवेदक ने दूरभाष पर दिनांक 10-7-2008 को संपर्क किया तब जानकारी में आया कि प्रकरण में आदेश आवेदकगण के विरूद्व हुआ है। इसके वाद नकल लेकर अभिभाषक से संपर्क कर पुर्नविलोकन आवेदन दिया है जिसे स्वीकार किया जावे।

5/ आवेदक क-1 व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव दिनांक 30--11-2005 से दिनांक 23-7-2008 के बीच की अवधि के विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के समर्थन / पुष्टिकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि अंतिम आदेश के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन 2 वर्ष 6 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। निगरानी कमांक 856/।।/2003 में पेशी 30-11-05 को आवेदकगण की ओर से नियुक्त अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव ने अंतिम तर्क प्रस्तुत किये हैं एंव आदेश हेतु हासिये में प्रकरण टीप किया है तथा दिनांक 30-11-05 को

अंतिम आदेश पारित हुआ है । स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी आवेदकगण के अभिभाषक को यथा समय रही है।

1. भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा-47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा-5 -कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना - विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सद्भाविक नहीं कहा जा सकता। "लंगरी बनाम छोटा 1992 रा.नि. 289 पर अविलम्बित
2. भू-राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)-धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - विलंब माफी हेतु आवेदन - आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया - प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं - विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 (1) (3) में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राईवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुर्नविलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आदेश के पारित किये जाने के साठ दिन के भीतर न किया गया हो। विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन 2 वर्ष 6 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिसे ग्राह्य कर गुणदोष पर निर्णय करना उचित नहीं है।

6/ न्यायदान की दृष्टि से पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विचार किया जावे, पुनरावलोकन आवेदन में ऐसा कोई स्पष्ट आधार नहीं है जिसके कारण आदेश दिनांक 30-11-2005 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो। आवेदक यह समाधान नहीं करा सके, कि आदेश दिनांक 30-11-2005 में कौनसी प्रत्यक्ष भूल अथवा लिपिकीय भूल हुई है, जिसके आधार पर

पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य किया जावे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधारों का स्पष्ट दिखाई देना विचार हेतु जरूरी है:--

(अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी या ,

(ब) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

(स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

पुनर्विलोकन चाहे स्वप्रेरणा से किया जाय, या किसी पक्षकार के आवेदन पर, इन तीनों में से एक या अनेक आधारों पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं, किन्तु आवेदक पुनरावलोकन आवेदन में अथवा प्रारंभिक बहस के दौरान ऐसा कोई समाधानकारक आधार नहीं बता सके कि उपरोक्त तीन आधारों में से एक अथवा उससे अधिक आधार पुनरावलोकन किये जाने हेतु उपलब्ध है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। फलतः प्रकरण कमांक 586/।।/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2005 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर